<u>परिशिष्ट-4.4</u>

क्रम संख्या-326 (क-5)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3,

संख्याः 941(1)/चौबीस-पी-3-2009

लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2009

- अधिसूचना -

<u>प0आ0-854</u>

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम-7(2) एवं नियम-46 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-1436 पी-3/98-24-47-पी-91, दिनांक 29 जून, 1998 का अतिक्रमण करते हुये विद्युत ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करने, विद्युत सुपरवाइजर्स की सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा वायरमैनों को परमिट प्रदान करने की, शर्तों में अधिसूचना संख्या 1313-ई0 एल0-67/23-पी0 बी0-84, ई0एल0ए0-58, दिनांकः 8 जून, 1967 के साथ पठित अधिसूचना संख्या- 1135-ई0एल0-67/23 -पी0बी0-94, ई0एल0ए0-56, दिनांक 11 मई, 1967 में उत्तर प्ररदेश सरकार द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी और इस अधिसूचना के दिनांक से प्रवर्तित होगी।

: संशोधन :

1. अधिसूचना संख्या 1135-ई0एल0/23-पी0बी0-94-ई0एल0ए0-58, दिनांक 11 मई, 1967 की शर्त-10 की उपशर्तो (1), (2), (3), (4) तथा (7) के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिये जाये:-

	उपशर्त 1, 2, 3, 4 तथा 7 जैसा कि वे शासकीय अधिसूचना संख्या-1436- पी0-3/98-24-47 -पी-91,दिनांक 29 जून,1998 में विद्यमान हैं।			उप-शर्त 1, 2, 3, 4 तथा 7 जैसा कि वे संशोधित की गई ।	
1.	ठेकेदार के परिसर आदि के निरीक्षण के लिए शुल्क चाहे ऐसा निरीक्षण प्रारम्भिक अनुवर्ती, वार्षिक हो या ठेकेदार की प्रार्थना पर किया जाए....	रूपया 150=00	1.	ठेकेदार के परिसर आदि के निरीक्षण के लिए शुल्क चाहे ऐसा निरीक्षण प्रारम्भिक अनुवर्ती, वार्षिक हो या ठेकेदार की प्रार्थना पर किया जाए...	रूपया 150=00

2.	लाइसेंस शुल्क	रूपया 750=00	2.	लाइसेंस शुल्क	रूपया 2000=00
3.	नवीनीकरण शुल्क	रूपया 225=00	3.	नवीनीकरण शुल्क	रूपया 500=00
4.	विलम्ब शुल्क	रूपया 75=00	4.	विलम्ब शुल्क	रूपया 300=00
7.	लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिये	रूपया 75=00	7.	लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिये	रूपया 300=00

2. अधिसूचना संख्या-1313-ई0एल0-67/23-पी0बी0-94/ई0एल0-58, दिनांक 08 जून, 1967 की शर्त-12 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जाये:-

शर्त-12 जैसा कि शासकीय अधिसूचना संख्या-1436 पी0-3/98-24-47-पी-91, दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है।		**शर्त-12 जैसा कि संशोधित की गई**	
12. इन शर्तो के अधीन निम्नलिखित फीस ली जायेगी:-		12. इन शर्तो के अधीन निम्नलिखित फीस ली जायेगी:-	
प्रमाण पत्र जारी करने के लिये फीसः- -	रूपया 180=00	प्रमाण पत्र जारी करने के लिये फीसः-	रूपया 400=00
परमिट जारी करने के लिये फीस:-	रूपया 180=00	परमिट जारी करने के लिये फीस:-	रूपया 400=00
प्रमाण-पत्र या परमिट की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने के लिए फीसः-	रूपया 75=00	प्रमाण-पत्र या परमिट की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने के लिए फीसः-	रूपया 200=00
नवीनीकरण फीस (यदि आवेदन, प्रमाण- पत्र या परमिट की अवधि समाप्त होने के पहले दिया जाये-		**नवीनीकरण फीस (यदि आवेदन, प्रमाण- पत्र या परमिट की अवधि समाप्त होने के पहले दिया जाये-**	
(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 180=00	(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 400=00
(ख) परमिट	रूपया 180=00	(ख) परमिट	रूपया 400=00
विलम्ब फीस		**विलम्ब फीस**	
(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 45=00	(क) प्रमाण-पत्र	रूपया 200=00
(ख) परमिट	रूपया 30=00	(ख) परमिट	रूपया 100=00

शर्त-12 जैसा कि शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 जून,1998 में विद्यमान है ।		**शर्त-12 जैसा कि संशोधित की गई**	
आवेदन पत्र की फीस		**आवेदन पत्र की फीस**	
(क) सुपरवाइजरों की परीक्षा के लिये या सुपरवाइजरों की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिये -	रूपया 45=00	(क) सुपरवाइजरों की परीक्षा के लिये या सुपरवाइजरों की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिये -	रूपया 300=00
(ख) वायरमैनों की परीक्षा के लिये या वायरमैनों की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिए-	रूपया 30=00	(ख) वायरमैनों की परीक्षा के लिये या वायरमैनों की परीक्षा से मुक्त किये जाने के लिए-	रूपया 200=00

शर्त-12 जैसा कि शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 जून, 1998 में विद्यमान है ।		**शर्त-12 जैसा कि संशोधित की गई ।**	
परीक्षा फीस		**परीक्षा फीस**	
(क) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा मौखिक तथा व्यवहारिक:	रूपया 90=00	(क) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा मौखिक तथा व्यवहारिक:	रूपया 300=00
(ख) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा(लिखित):-	रूपया 60=00	(ख) समान पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा(लिखित):-	रूपया 300=00
(ग) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (मौखिक तथा व्यवहारिक):-	रूपया 60=00	(ग) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (मौखिक तथा व्यवहारिक):-	रूपया 300=00
(घ) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित):-	रूपया 30=00	(घ) उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित):-	रूपया 300=00
(ड.) वायरमैन परीक्षाः-	रूपया 30=00	(ड.) वायरमैन परीक्षाः-	रूपया 200=00

3. अधिसूचना संख्या-1135 ई0एल0/23-पी0बी0-94-ई0एल0ए0-58, दिनांक 11 मई, 1967 की शर्त-15 की टिप्पणी में अर्थदण्ड निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जाये:-

शर्त-15 की टिप्पणी-जैसा कि शासकीय अधिसूचना, दिनांक 11 मई, 1967 में विद्यमान है ।		शर्त-15 की टिप्पणी जैसा कि संशोधित की गई:-	
अर्थ दण्ड अधिकतम रूपया	रूपया 50=00	अर्थ दण्ड अधिकतम रूपया	रूपया 2000=00

टिप्पणीः-

(1)- सभी फीस का भुगतान शीर्षक-''0043- विद्युत कर तथा शुल्क, (102)- भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस'' के अधीन राज्य के कोषागारों या उप कोषागारों में भुगतान किया जायेगा।

(2)- ट्रेजरी चालान के फार्म, जिनमें लेखाशीर्षक मुद्रित रहेगा, निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय, उप निदेशकों के क्षेत्रीय कार्यालयों, सहायक निदेशकों के परिक्षेत्रीय (जोनल) कार्यालयों, विद्युत सप्लाई उपक्रमों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लमिटेड के प्रभागीय या उप प्रभागीय कार्यालयों तथा कलेक्टरियों से प्राप्त किये जा सकते हैं। ट्रेजरी चालान के इन फार्मों में निदेशालय (डायरेक्ट्रेट) द्वारा कोई पृष्ठांकन करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें समुचित रूप से भर कर तथा ऐसी उपशीर्षकों को, जो ट्रेजरी चालान में भले ही मुद्रित हों, किन्तु लागू न हों, काट देने के बाद सीधे जमा करने के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्तांकित (रिसीटेड) ट्रेजरी चालान निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रेषित किया जाना चाहिये। भुगतान किसी भी दशा में नकदी करेंसी नोटों में या मनीआर्डर के जरिये न किया जाय।

(3)- अभ्यर्थियों को अपना यह समाधान अवश्य कर लेना चाहिये कि जिस प्रयोजन के लिये फीस जमा की जा रही है, उसके लिये पात्र हैं क्योंकि किसी भी हालत में आवेदन-फीसों की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
(नवनीत सहगल)
सचिव।

Back Contd..